

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक,
उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,
सेक्टर डी, अलीगंज, लखनऊ।
3. निदेशक,
सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान,
जवाहर भवन, लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर: 2007

विषय- भारत सरकार के स्तर पर गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में की गयी संस्तुति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-17014/1/07 टी.आर.सी. (आर.टी.आई.) दिनांक 13-7-2007 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के स्तर पर गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम रिपोर्ट में सूचना के अधिकार विषय पर प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

आयोग की संस्तुति

- (1) आयोग ने संस्तुति किया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी ही सम्मिलित न किये जाएं बल्कि सरकारी विभागों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर रखा जाय। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक जिले में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

कार्यवाही

यह तय किया गया है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर आयोजित की जाय।

(2) सामान्य तथा विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण में सामान्य अथवा विशेष रूप से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिन से अधिक अवधि के लिए आयोजित किये जायें जिनमें आधे दिन का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर दिया जाना अनिवार्य हो ।

कार्यवाही

यह तय किया गया कि एक सप्ताह या उससे अधिक के समस्त ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, यदि सम्भव हो तो, एक घण्टे का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर दिया जाये ।

2- कृपया अपने अधीन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रदेश में समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार के उक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)

मुख्य सचिव ।

संख्या- 2324 (1)/43-2-2007 तददिनांक

प्रतिलिपि भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-17014/1/07 टी.आर.सी.
(आर.टी.आई.) दिनांक 13-7-2007 के सन्दर्भ में

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)

सचिव ।

संख्या - 35 गी/टि/0 / 43-2-2007

17014/1/2007-Trg(RTI)
Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(Training Division)

Block-IV, 3rd Floor, Old JNU Campus,
New Delhi-110067

Dated: 13.07.2007

TRG

To

- o Secretaries to all Ministries/ Departments, Government of India,
- o Chief Secretaries to all State Governments,
- o Heads of all Central Training Institutes
- o Heads of all State Training Institutes.

Subject:- Recommendation of the First Report of the 2nd Administrative Reforms Commission on Right to Information- Action Taken Report.

For Information,

The recommendation of the 2nd Administrative Reforms Commission on Right to Information pertaining to training activities has been considered by this Department and accordingly following has been decided:-

Recommendation:-

- (i) The Commission recommended that training programmes should not be confined to merely PIOs and APIOs. All government functionaries should be imparted training for atleast one day on Right to Information within a year. These training programmes have to be organized in a decentralized manner in every block. A cascading model could be adopted with a batch of master trainers in each district.

It has been decided that funds permitting, various Ministries/Departments/State Governments etc. may conduct such training programmes.

Conclusion:

In all general or specialized training programmes of more than 3 days duration, a half-day module on Right to Information should be compulsory.


Conclusion:

It has been decided that in all training programmes for one week or more, a one-hour module on Right to Information should be included, wherever possible.

Appropriate action may be taken as indicated above.

14/7/07

Yours faithfully,


(Ajay Sawhney)

Joint Secretary (Trg)

3.0.07